

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

:: तकनीकी स्वीकृति आदेश ::

आदेश क्र./एफ-3/16/2018/10-11/53

भोपाल, दिनांक 13-10-23

कार्यालयीन आदेश क्र./एफ-3/16/2018/10-11/41, दिनांक 07.08.2023 "मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना" के केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी स्वीकृति से संबंधित है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1180 दिनांक 23.09.2023 से वर्तमान दर पर पुनरीक्षित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील गार्ड लाइन के अनुक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र० भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-3/2019/10-11/03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 05.05.2021 अनुसार प्राप्त संशोधित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार कार्यों पर प्रदान की जाती है :-

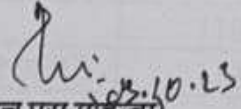
परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के कार्यों का विवरण		
क्रं.	प्रस्तावित कार्य	राशि (लाख में)
I	Treatment works under catchment area	
1	Treatment Works under Non Forest Area	
	(i) Biological Measures	216.57
	(ii) Engineering Measures	53.47
2	Treatment works under Forest Area	
	(i) Biological Measures	5196.02
	(ii) Engineering Measures	333.84
	Sub Total (i)=	5799.90
II	Work Cost	
1	Preparation of watershed project reports (0.2% of (i))	11.59
2	Entry point activity and constitution of watershed committee (0.2% of (i))	11.59
3	Support to farm production system and micro enterprises (2% of (i))	115.98
4	Natural Resource Managment Activites (2% of (i))	115.98
	Sub Total (ii)=	255.14
	Sub Total (i+ii)=	6055.04

उक्त संशोधित तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगी :-

- परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्ताव पर दी जाती है। यदि प्लान में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।
- प्रस्तुत प्राक्कलन में वनक्षेत्र से बाहर प्रस्तावित कार्यों को आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा एवं वनक्षेत्र में प्रस्तावित कार्य वनविभाग द्वारा किये जावेंगे।
- संबंधित वनमण्डलाधिकारी इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति

के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावे। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावे।

4. इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
5. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
6. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावे।
7. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावे।
8. कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
9. कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावे।


(एच.एस.मोहन्ता)

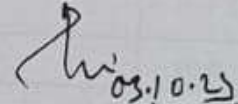
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3-10-23

पृ. क्रं./एफ-3/16/2018/10-11/4409
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वृत्त होशंगाबाद/वृत्त खण्डवा/वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, हरदा/होशंगाबाद/खण्डवा/उत्तर बैतूल/पश्चिम बैतूल/जबलपुर, मध्यप्रदेश।
5. परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आई.यु. सिवनी मालावा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल